

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जून 2016—ज्येष्ठ 20, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. एफ-ए-3-01-2014-1-पांच (34).—यतः, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) के अधीन कर के अपवंचन के निवारण या उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर अस्थायी जांच चौकी स्थापित करता है और नाके का निर्माण करता है. ये जांच चौकियां 1 मार्च, 2016 से 6 मास की कालावधि के लिए स्थापित की जा रही हैं:—

#### अनुसूची

अनुक्रमांक	जांच चौकी एवं नाके के स्थान का नाम तथा विवरण	जांच चौकी एवं नाके की अवस्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	ग्राम चिरूला, जिला दतिया	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 पर दतिया से झांसी की ओर 9 किलोमीटर तथा झांसी से दतिया की ओर 19 किलोमीटर के मध्य में ग्राम चिरूला में पुलिस थाने के पास.
2.	ग्राम खरई-पडोरा (कोटा नाका), जिला शिवपुरी	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 27 शिवपुरी से कोटा मार्ग पर शिवपुरी से कोटा की ओर 45 किलोमीटर, जहां एकीकृत जांच चौकी स्थित है.

राघवेन्द्र सिंह, आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2016

क्र. एफ-ए-3-01-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-01-2014-1-पांच (34) दिनांक 10 जून 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 10th June 2016

No. F-A-3-01-2014-1-V-(34).—WHEREAS, the Commissioner of Commercial Tax, Madhya Pradesh is satisfied that it is necessary so to do with a view to prevent or check evasion of tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), namely:—

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the Commissioner, Commercial Tax, hereby, sets up temporary check post and erects barrier at the places as specified in the Schedule below, these check posts are being set up for a period of six months from 01st March, 2016:—

SCHEDULE

S. No.	Name and description of place of check post and barrier	Location of check post and barrier
(1)	(2)	(3)
1.	Village Chirula, District Datia	On National Highway No. 75, between 9 Kms. from Datia towards Jhansi and 19 Kms. from Jhansi towards Datia near Police Station at Village Chirula.
2.	Village Kharai-Padora (Kota Barrier, District Shivpuri	On National Highway No. 27, Shivpuri to Kota Road, 45 Kms. from Shivpuri towards Kota where Integrated Check Post is Situated.

RAGHVENDRA SINGH, Commissioner.